लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन – प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर,
फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर–0771–2445215,
ई–मेल–cg.dpi.dir@gmail.com

क्र. / स्था.2 / व्या. / पदो. / 13(1) / 2025 / 331 अटल नगर, दिनांकः 12 / 09 / 2025
प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़ ।

विषयः– व्याख्याता / व्याख्याता एलबी टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसिलिंग के संबंध में।

––000––

व्याख्याता / व्याख्याता एलबी टी संवर्ग के पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसिलिंग के संबंध में समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर विषयवार पदोन्नत व्याख्याता के काउंसिलिंग हेतु सूची विभागीय पोर्टल www.eduportal.gov.in में अपलोड की जा रही है।

पदोन्नत व्याख्याताओं को उक्त सूची से अवगत करावें। संभाग / जिलों से प्राप्त जानकारी में पदोन्नत व्याख्याता / व्याख्याता एलबी को काउंसिलिंग हेतु तैयार सूची में किसी भी प्रकार (महिला / पुरूष / दिव्यांग / एक वर्ष से कम सेवानिवृत्ति / काउंसिलिंग का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य) से संबंधित दावा–आपत्ति होने पर संबंधित कर्मचारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग कार्यालय में 13.09.2025 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ आपत्ति दर्ज करावें तथा संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग कार्यालय में पदस्थ कक्ष प्रभारी अधिकारी / लिपिक के माध्यम से दिनांक 15.09.2025 को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक अनिवार्य रूप से संचालनालय में उपस्थित होकर स्थापना 2 टी संवर्ग कक्ष में प्रकरण का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

काउंसिलिंग हेतु तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ.क्र. / स्था.2 / व्या. / पदो. / 13(1) / 2025 / 332 अटल नगर, दिनांकः 12 / 09 / 2025
प्रतिलिपि :–

1 / सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि के पूर्व संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्ताव उपलब्ध करावें।
3 / सहायक संचालक एम.आई.एस. कक्ष की ओर सूची अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4 / समस्त पदोन्नत व्याख्याताओं की ओर सूचनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़